



कार्यालय कलेक्टर एवं

जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Phone- 07817-222380. E-Mail : dmi@janjgirchampa@gmail.com



क्र./ 11651 / DMF / निर्माण / जि.पं. / 2017

जांजगीर, दिनांक 30/12/2017

// विज्ञापन //

जांजगीर जिला खनिज संस्थान न्यास निधि अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों की सहभागी कार्ययोजना निर्माण हेतु गैर सरकारी संस्थाएँ, स्वैच्छिक संस्थाएँ, फर्म से सशर्त प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना है।

रुचि की अभिव्यक्ति अन्तर्गत भाग लेने हेतु पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाएँ, स्वैच्छिक संस्थाएँ, फर्म से आवेदन/निविदा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :- 15.01.2018
2. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :- 22.01.2018
3. निविदा खोलने की तिथि :- 24.01.2018 समय दोपहर 1.00 बजे
4. निविदा प्राप्ति की स्थान :- कार्यालय जिला पंचायत (डीएमएफ शाखा) जांजगीर-चाम्पा जिला - जांजगीर-चाम्पा(छत्तीसगढ़) में कार्यालयीन अवधि में आवेदन शुल्क 500.00 देकर निविदा प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा का विस्तृत नियम एवं शर्तें जिला प्रशासन के वेबसाईड janjgirchampa.gov.in में अथवा कार्यालय जिला पंचायत (डीएमएफ शाखा) जांजगीर-चाम्पा में कार्यालयीन अवधि में अवलोकन किया जा सकता है।


(अजीत वसंत)

IAS

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जांजगीर-चांपा



कार्यालय कलेक्टर एवं
जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

Phone- 07817-222380. E-Mail : dmljanjgirchampa@gmail.com



क्र./ 11652/DMF/निर्माण/जि.पं./2017

जांजगीर, दिनांक 30/12/2017

//रूचि की अभिव्यक्ति//

जांजगीर जिला में जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 100.00 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती है। खनन संक्रियाओं से प्रत्यक्ष प्रभावित 31 ग्रामों व सम्पूर्ण जिले को प्रभावित माना गया है।

न्यास में उपलब्ध निधि से उच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधायें, शिक्षा, कृषि एवं संबंध गतिविधि महिला एवं बाल विकास, निःशक्तजन, कौशल विकास एवं स्वच्छता के तहत कार्य योजना एवं अन्य प्राथमिकता के अन्तर्गत अद्योसंरचना विकास, सिंचाई एवं उर्जा क्षेत्रों में आगामी 5 वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार किया जाना है। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-2015 के प्रावधान अनुसार पंचवर्षीय कार्ययोजना निर्माण के लिए अनुभवी गैर सरकारी संस्थान, स्वैच्छिक संस्थायें, फर्म से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1- प्रस्ताव के लिए पात्रता :-

- शासकीय कार्यक्रमों/योजनाओं की कार्ययोजना निर्माण करने का न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- विगत 03 वर्षों का औसतन वार्षिक आय/व्यय 500 लाख से अधिक होना चाहिए।
- आयकर विभाग/जीएसटी/टीडीएस/सर्विस टैक्स एवं अन्य संबंधित विभाग में संस्था पंजीकृत होना चाहिए।
- पूर्व में संस्था के विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। (सलग्न-1) 50.00 रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में।

2- तकनीकी प्रस्ताव :-

- संस्था का वैधानिक पंजीयन का साक्ष्य,
- संस्था का 03 वर्ष का आयकर रिटर्न,
- संस्था का 03 वर्ष का सीए आडिट रिपोर्ट,
- अनुभव का विस्तृत विवरण,
- कार्य योजना निर्माण की पद्धति एवं प्रक्रियाएँ,
- विषय विशेषज्ञ की योग्यता एवं अनुभव :- कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु संबंधित संस्थान में योजना निर्माण, समाजिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं पोषित क्षेत्र से न्यूनतम 04 विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञों की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी :-

क्र.	विशेषज्ञ	आयु	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1	सामाजिक क्षेत्र	30-50 वर्ष	एमबीए, एमएसडब्ल्यू या समकक्ष योग्यता, न्यूनतम 5 वर्ष शासकीय सामाजिक क्षेत्र में कार्य अनुभव
2	कृषि क्षेत्र	30-50 वर्ष	बी-टेक, बीई डिप्लोमा, एग्रीकल्चर या समकक्ष योग्यता, 5 वर्ष शासकीय कृषि क्षेत्र में कार्य अनुभव
3	शिक्षा	30-50 वर्ष	एमबीए या समकक्ष योग्यता शिक्षा सेक्टर से 5 वर्ष कार्य अनुभव
4	स्वास्थ्य एवं पोषण	30-50 वर्ष	एमबीए या समकक्ष योग्यता, लोक स्वास्थ्य क्षेत्र में पांच वर्ष कार्य अनुभव
5	अद्योसंरचना	30-50 वर्ष	बीई/बी-टेक न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, योजना निर्माण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता परीक्षण

3- वित्तीय प्रस्ताव :-

- प्रत्येक ग्राम पंचायत की कार्ययोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि,

4- प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विधि :-

- निम्नांकित पते पर दिनांक दिन समय शाम 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा में कक्ष क्रमांक 01 में प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे।
- तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग बंद लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगे। जिसके लिये लिफाफे के अनुसार निम्नानुसार लिखा जाना अनिवार्य होगा -
(अ) "कार्य योजना हेतु तकनीकी प्रस्ताव"
(ब) "कार्य योजना हेतु वित्तीय प्रस्ताव"
- प्रस्ताव के साथ रु. 25000.00 शब्दों में पच्चीस हजार रु. मात्र अमानत राशि देय होगी। जो कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार करवाकर तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर कार्ययोजना प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5- मूल्यांकन प्रणाली -

- पात्रता प्राप्त करने वाले प्रस्ताव को मूल्यांकन समिति के द्वारा चार चरणों में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जावेगा।
- चरण 01 : अनुभव एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन :-

क्रमांक	सूचकांक	अंक	अधिकतम अंक
1	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 10 वर्षों का अनुभव	5	15
2	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 15 वर्षों का अनुभव	10	
3	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 20 वर्षों का अनुभव	15	
4	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यदेश के अनुसार सहभागी नियोजन में संस्था का 10 वर्षों का अनुभव तथा पिछले गत वर्ष भी कार्य किया गया हो।	5	15
5	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यदेश के अनुसार सहभागी नियोजन संस्था का 15 वर्षों का अनुभव तथा पिछले गत वर्ष भी कार्य किया गया हो।	10	
6	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यदेश के अनुसार सहभागी नियोजन में संस्था का 20 वर्षों का अनुभव तथा पिछले गत वर्ष भी कार्य किया गया हो।	15	
7	पिछले 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ में कार्यानुभव के साक्ष्य	10	10
8	विशेषज्ञों की योग्यता जिसमें 10 वर्षों के कार्ययोजना निर्माण के अनुभव स्पष्ट हो।	5	15
9	विशेषज्ञों की योग्यता जिसमें 15 वर्षों के कार्ययोजना निर्माण के अनुभव स्पष्ट हो।	10	
10	विशेषज्ञों की योग्यता जिसमें 20 वर्षों के कार्ययोजना निर्माण के अनुभव स्पष्ट हो।	15	
11	पिछले 03 वर्षों का औसतन वार्षिक आय-व्यय 500.00 लाख से अधिक	10	10
	कुल योग		65

- चरण 02 : प्रस्तुतीकरण :-
प्रथम मूल्यांकन में 40 अंक प्राप्तकर्ता संस्था को प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रस्तुतिकरण के लिये अधिकतम 35 अंक निर्धारित किये गये हैं जिसके अनुसार समीक्षा की जायेगी।
- चरण 03 : वित्तीय प्रस्ताव की समीक्षा :-
प्रस्तुतिकरण में 20 से अधिक अंक प्राप्तकर्ता संस्थाओं के वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा निम्नानुसार की जायेगी :-
तीसरे चरण में पात्र संस्था के न्यूनतम प्रस्तावित दर :- समीक्षा में लिये गये संस्था के प्रस्तावित दर X 100 = प्राप्त अंक
- चरण 04 : गुणात्मक एवं वित्तीय समीक्षा :-

क्रमांक	विवरण	अंक
1	प्रथम चरण में प्राप्त अंक	
2	द्वितीय चरण में प्राप्त अंक	
3	तृतीय चरण में प्राप्त अंक	

- प्रस्तुत की गई अभिरुचि प्रस्ताव पर जांजगीर जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के शासी परिषद की बैठक में विचार की जायेगी। तत्पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर को होगा तथा इसके विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।
- सहभागी कार्ययोजना हेतु प्रस्तुत की गई अभिरुचि प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संबंधित गैर सरकारी संस्थान, स्वैच्छिक संस्थाएं, फर्म को उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास जांजगीर के साथ एक अनुबंध करना होगा।
- जांजगीर जिला खनिज संस्थान न्यास अन्तर्गत प्रभावित ग्रामों की सहभागी कार्ययोजना निर्माण हेतु अभिरुचि प्रस्ताव 30 मार्च 2018 तक तैयार कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- कार्य योजना तैयार किये जाने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास का कार्यालय उपलब्ध होगा। कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिटर, फोटोकॉपी मशीन, एवं कार्यालयीन स्टॉफ संबंधित फर्म को स्वयं का रखना होगा।
- कुल 05 दिनों का कार्य दिवस होगा। प्रातः 09:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक कार्यालय समय होगा। शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश की पात्रता होगी।
- कार्य योजना तैयार करने में क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा इस संबंध में वाहन, पी.ओ.एल. की व्यवस्था संबंधित फर्म को ही करना होगा।
- उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य संतोषजनक न होने पर जारी स्वीकृति आदेश निरस्त किया जाकर जमा धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी।
- सहभागी कार्ययोजना हेतु प्रस्तुत की गई अभिरुचि प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आशय यह होगा की संबंधित गैर सरकारी संस्थान, स्वैच्छिक संस्थाएं, फर्म द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी शर्तें मान्य हैं।


(अजीत वसंत)

IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जांजगीर-चांपा